CNR NO UPDE 0100 2431 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी- धनेन्द्र प्रताप सिंह,(उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP2016

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 982/2026

राजेश यादव पुत्र हंसनाथ यादव
निवासी ग्राम- लक्ष्मीपुर, थाना- बरहज, जिला- देवरिया।

प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **प्रतिपक्षी**

अपराध संख्या- 107/2026,
धारा- 191(2),191(3),351(3),352,103(1) भा.न्या.सं.,
थाना- बरहज, जिला- देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना-पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **राजेश यादव,** जो मुकदमा अपराध संख्या 107/2026, धारा 191(2),191(3),351(3),352,103(1) भा.न्या.सं., थाना बरहज, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथकर्ता संतोष कुमार यादव द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना-पत्र है। अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दिया गया है, न निरस्त हुआ है और न विचाराधीन है।

3. प्रथम सूचनाकर्ता प्रशांत सिंह द्वारा थाना बरहज, जिला देवरिया में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उसके मकान के सामने चकनाली गयी हुई है, उक्त चकनाली की जमीन पर ग्राम प्रधान राजेश यादव पुत्र हंसनाथ यादव पक्की सड़क का निर्माण करा रहा था। उसके पिताजी स्व० विजेन्द्र सिंह, जो बरहज तहसील में वरिष्ठ अधिवक्ता थे, पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत किये थे कि गलत ढंग से चकनाली पर सड़क बनवाने से रोका जाए। जिस पर करीब 10 दिन पहले नायब तहसीलदार साहब मौके पर आकर ग्राम प्रधान राजेश यादव को सड़क बनवाने से रोक कर गये थे, उसके बाद राजेश यादव लगातार उसके पिताजी को जान से मारने की धमकियाँ देता था। दिनांक 05.04.2026 को समय करीब 12:30 बजे दिन में उक्त राजेश यादव अपने साथी गामा यादव तथा अपने भाई तारकेश्वर यादव, कुलवन्त और सुखवंत उर्फ बीरू तथा अन्य अज्ञात 7-8 लोगों को हथियारों के साथ तथा गामा यादव अपने लाइसेंसी पिस्टल के साथ मौजूद था तथा जबरदस्ती पुनः निर्माण कराने लगा है। सूचना पाकर SDM बरहज विपिन कुमार द्विवेदी, लेखपाल रोशन मिश्रा

मौके पर आये। SDM साहब से उसके पिताजी तथा गाँव वालों ने अपनी गुहार लगाया तथा काम रूकवाने के लिये निवेदन किया लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। SDM साहब के जाने के तुरंत बाद राजेश यादव उसके पिताजी का कॉलर पकड़ लिया तथा राजेश के साथी पिताजी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ और बार-बार वकालत गांड़ में डालने की धमकी दिये। राजेश यादव और उनके साथ मौजूद लोग एक राय होकर उसके पिताजी को धक्का दे दिए, जिससे उन्हें कुछ अंदरूनी चोटें आई और तत्काल उनकी मृत्यु हो गयी। यह देखकर सभी मुल्जिमान अपनी-अपनी गाड़ियों से भाग गये। घटना को गांव के अनीस सिंह, रजनीकान्त सिंह, दुष्यन्त सिंह, विनोद सिहं तथा अन्य लोगों ने देखा है। अतः उचित कार्यवाही करने की माँग की गयी है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 05.04.2026 को अभियुक्तगण राजेश यादव, तारकेश्वर यादव, कुलवन्त, सुखवंत उर्फ बीरू, गामा यादव एवं 7-8 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना बरहज, जिला देवरिया में अपराध संख्या 107/2026, धारा 191(2),191(3),351(3),352, 103(1) भा.न्या.सं. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि वह निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व वादी मुकदमा व उसके मेली मददगार मृतक विजेन्द्र सिंह के शव को तथाकथित घटनास्थल से स्वयं उठाकर तहसील परिसर बरहज लेकर चले आये तथा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। मृतक विजेन्द्र के शव विच्छेदन रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ, मृत्यु का कारण जानने के लिये डॉ० द्वारा विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल इक्जामिनेशन एण्ड होल हर्ट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल इक्जामिनेशन के लिये सुरक्षित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गंभीर चोट नहीं थी और न ही शरीर के मार्मिक स्थल पर थी, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित है कि राजेश यादव लगातार उसके पिता को जान से मारने की धमकी देता था जबकि मृतक विजेन्द्र द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है। वास्तविकता है कि रपट में जिस स्थान को चकनाली कहा जा रहा है, वह चकनाली नहीं बल्कि मौके पर अराजी संख्या 137क रकबा 0.105 हेक्टेयर नलकूप नाली के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उक्त नाली व नलकूप पर वादी मुकदमा के पिता अवैध कब्जा किये थे, जिसके कारण प्रशासन के आदेशोपरांत सड़क बनने में विरोध किये। तथाकथित घटना व दिनांक को प्रार्थी/अभियुक्त की मृतक विजेन्द्र सिंह के साथ कोई मार-पीट नहीं हुई थी बल्कि उनकी मृत्यु अचानक शारीरिक बीमारी के कारण प्राकृतिक रूप से हुई थी। उक्त रपट मिथ्या व साक्ष्य विहीन होने के कारण ही Quesh करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त व उसके पुत्रगण कुलवन्त व सुखवन्त तथा भाई तारकेश्वर की तरफ से मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रि०मि०रि०पि० नं० 8718/2026

राजेश यादव व तीन अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दिनांक 16.04.2026 को ही दाखिल किया था। तथा सह-अभियुक्त गामा द्वारा भी प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्तीकरण हेतु क्रि०मि०रि०पि० नं० 8945/2026 गामा यादव बनाम उ०प्र० सरकार व दो अन्य दिनांक 16.04.2026 को दाखिल कर दिया गया। उपरोक्त रिट याचिका को निष्प्रभावी बनाने तथा न्याय से वंचित करने के उद्देश्य से प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्रगण कुलवन्त व सुखवन्त को दिनांक 18.04.2026 को ही गिरफ्तार कर लिया गया और प्रार्थी/अभियुक्त तारकेश्वर को इस तरह मजबूर किया गया कि उसे दिनांक 01.05.2026 को तथा अभियुक्त तारकेश्वर दिनांक 08.05.2026 को आत्मसमर्पण कर दिये, जिसके कारण अभियुक्तगण की तरफ से दाखिल उपरोक्त रिट याचिका दिनांक 12.05.2026 को Withdraw कर ली गयी। गामा यादव की रिट याचिका में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है तथा विसरा रिपोर्ट दो सप्ताह में दाखिल करने का आदेश दिया गया है। वादी मुकदमा व उसके मेली मददगार गवाहानों के बयान धारा 180 BNSS में जो घटनास्थल कहा गया है, उन स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं। विवेचक व वादी मुकदमा द्वारा मृतक की नेचुरल डेथ को छिपाने के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरे/डिजिटल साक्ष्य को विवेचना से बाहर कर दिया है। प्रस्तुत मामले का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 08 घंटे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त राजेश यादव ने प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर, सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकार्डिंग/डीवीआर को कब्जे में लेकर सुरक्षित करने हेतु विवेचक को आदेशित करने तथा मामले की निष्पक्ष विवेचना की मानिटरिंग करने की याचना की गयी है। इसके अलावा विसरा रिपोर्ट को विवेचक के समक्ष प्रस्तुत करने की याचना की गयी है। साथ ही साथ इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6-1 के तहत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड बरहज देवरिया से तथाकथित घटना दिनांक व समय की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के संबंध में सूचना मांगी गयी है। मृत्यु का कारण कोई एंटीमार्टम इंजरी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी का कोई जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.05.2026 से जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्यतः इस आशय का अतिरिक्त कथन किया गया है कि मूल जमानत आवेदन दाखिल करते समय विसरा रिपोर्ट व हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं थी। परन्तु रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात विश्वस्तसूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि मृतक विजेन्द्र सिंह की हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट सामान्य है एवं विसरा रिपोर्ट में इथाइल एल्कोहल विष पाया गया है। लेकिन उसकी सान्द्रता नहीं लिखी गयी है और न ही अभियोजन के उक्त प्रपत्रों में Cause of death निश्चित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतन्त्र, प्रत्यक्ष, विश्वसनीय तथा पुष्टिकारक

साक्ष्य नहीं है, जो उसके विरुद्ध प्राईमा फेसीय गम्भीर अपराधिक भूमिका स्थापित कर सके। केवल अनुमान, सम्भावना या अधूरी चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को निरन्तर कारावास में रखना न्यायसंगत नहीं होगा। अभियोजन जाँच का महत्वपूर्ण भाग सम्पन्न हो चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध ठोस पुष्टिकारी साक्ष्य न हो, और हिरासत का उद्देश्य केवल दण्डात्मक प्रतीत हो तब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, गाली-गुप्ता व धमकी देते हुए, प्रथम सूचनाकर्ता के पिता विजेन्द्र सिंह को धक्का देकर गंभीर चोटें कारित की गयी, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गयी। अपराध की गम्भीरता एवं दण्ड की मात्रा को देखते हुए, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण की केस डायरी एवं संबंधित प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, गाली-गुप्ता व धमकी देते हुए, प्रथम सूचनाकर्ता के पिता विजेन्द्र सिंह को धक्का देकर गंभीर चोटें कारित किये जाने, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा- 180 BNSS में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। मृतक विजेन्द्र सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 01 चोट (Contused swelling 05 x 03cm on the right zygomatic area of face, bluesh in colour.) तथा मृत्यु की वजह "Could not be certain" अंकित है। केस डायरी के पर्चा नं-37 में मृतक की हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट में "Unremarkable histology of heart" व मृतक की विसरा परीक्षण रिपोर्ट में "ईथाईल अलकोहल विष" अंकित है। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नं-40 में मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया को पत्र प्रेषित करते हुए उपरोक्त सभी परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के मृत्यु का सही व स्पष्ट कारण की जानकारी न होने के कारण इस संबंध में विशेषज्ञ की राय उपलब्ध कराने की याचना की गयी है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित अपराध

की धारा मृत्यु अथवा आजीवन कारावास तक की सजा अवधि से दण्डनीय है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में किए गए कथन साक्ष्य एवं विचारण का विषय है।

9. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **राजेश यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।

दिनांकः- 05.06.2026